



दिनांक 31.03.2017 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III) के पिलर 3 के अंतर्गत प्रकटीकरण (समेकित आधार पर)

Disclosures (on consolidated basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel III) of Reserve Bank of India as on 31.03.2017

डीएफ 1: अनुप्रयोग का क्षेत्र एवं पूंजी पर्याप्तता

प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर समेकित आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।

DF 1. Scope of application and Capital Adequacy

The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on consolidated basis, which is the top bank in the group

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosures:

| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|---|---|---|--|---|--|---|
| नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बॉबकार्ड्स लि. / भारत BOB Cards Ltd. / India | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत Baroda Global Shared services Limited / India | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि./ बोत्स्वाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लि./ गयाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. /Guyana | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंज़ानिया) लि./ तंज़ानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. /Tanzania | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |

| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|--|--|--|--|--|--|--|
| बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो Bank of Baroda Trinidad &Tobago Ltd. / Trinidad &Tobago | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. / Zealand | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | हां Yes | लाइन दर लाइन आधार Line By Line Basis | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. / भारत India First Life Insurance Company Ltd. / India | हां Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method | नहीं No | विनियामक पूंजी से निवेश की गई आस्ति कम कर दी गई है The investment asset is deducted from regulatory capital | किसी बीमा कंपनी पर लागू विनियामक निर्देश Regulatory guidelines applied to an insurance entity | विनियामक दिशा निर्देश Regulatory guidelines |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia | हां Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method | हां Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India | हां Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method | हां Yes | अनुपाती समेकन पद्धति Proportionate Consolidaton Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड / ज़ाम्बिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि./भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |



| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / Country of incorporation | क्या इकाई को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | क्या इकाई को समेकन के नियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हां/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes / no) | समेकन की पद्धति का वर्णन Explain the method of consolidation | समेकन की पद्धति में अंतर के लिए कारणों का वर्णन Explain the reasons for difference in the method of consolidation | यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समेकित किया गया है तो कारणों का वर्णन Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation |
|--|--|--|--|---|--|--|
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि./ भारत Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd / India | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Gramin Bank / India | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | हां Yes | इक्विटी पद्धति Equity Method | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |

ए. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के लिए शामिल किया गया है:

a. **List of group entities considered for consolidation:**

| | |
|--|---|
| नैनीताल बैंक लि. | The Nainital Bank Ltd. |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. | BOB Capital Markets Ltd |
| बॉबकार्ड्स लि. | BOB Cards Ltd. |
| बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत | Baroda Global Shared services Limited/India |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. | Bank of Baroda (Botswana) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. | Bank of Baroda (Kenya) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. | Bank of Baroda (Uganda) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लि. | Bank of Baroda (Guyana) Inc. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. | Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो लि. | Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. | Bank of Baroda (Ghana) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. | Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लि. | BOB (UK) Ltd. |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी | India International Bank (Malaysia) Bhd. |
| इंडिया इन्फ्राडेब्ट लि. | India Infradebt Ltd. |
| इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड | Indo Zambia Bank Limited |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. | Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. |
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. | Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक | Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक | Baroda Gujarat Gramin Bank |



- बी. समूह की ऐसी इकाइयों की सूची जिन्हें समेकन के विनियामक तथा लेखांकन दोनों क्षेत्रों के अंतर्गत समेकन के लिए शामिल नहीं किया गया है :
- b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation:

| इकाई का नाम/ निगमित देश Name of the entity / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इक्विटी में बैंक के शेयर का (%) % of bank's holding in the total equity | इकाई के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक प्रबंध Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|---|---|--|--|--|---|
| शून्य / NIL | | | | | |

- (ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण
समेकन के लिए शामिल की गई समूह की इकाइयों की सूची:
- (ii) Quantitative Disclosures:
c. List of group entities considered for consolidation:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) ए में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above) | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|---|---|--|--|
| नैनीताल बैंक लि./ भारत The Nainital Bank Ltd. / India | बैंकिंग Banking | 58946.29 | 769968.55 |
| बॉब कैपिटल मार्केट लि. / भारत BOB Capital Markets Ltd /India | गैर बैंकिंग Non Banking | 16300.89 | 16537.40 |
| बॉबकार्ड्स लि. / भारत BOB Cards Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 23871.79 | 35650.66 |
| बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विस लिमिटेड / भारत Baroda Global Shared services Limited/India | गैर बैंकिंग Non Banking | 12.00 | 12.00 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि./ बोत्स्वाना Bank of Baroda (Botswana) Ltd./ Botswana | बैंकिंग Banking | 12436.59 | 97184.28 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि./ केन्या Bank of Baroda (Kenya) Ltd. / Kenya | बैंकिंग Banking | 94282.67 | 549510.74 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि./ यूगांडा Bank of Baroda (Uganda) Ltd. / Uganda | बैंकिंग Banking | 49232.96 | 274636.39 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (गयाना) लि./ गयाना Bank of Baroda (Guyana) Inc. / Guyana | बैंकिंग Banking | 8530.29 | 55051.68 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि./ तंजानिया Bank of Baroda (Tanzania) Ltd. / Tanzania | बैंकिंग Banking | 11046.99 | 50158.07 |



| इकाई का नाम / निगमित देश (जैसा कि उपरोक्त (i) ए में दर्शाया गया है) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i)a. above) | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) |
|--|--|---|---|
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो लि./ त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd. / Trinidad & Tobago | बैंकिंग Banking | 4983.08 | 41561.66 |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि./ घाना Bank of Baroda (Ghana) Ltd. /Ghana | बैंकिंग Banking | 22847.68 | 47488.16 |
| बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि./ न्यूजीलैंड Bank of Baroda (New Zealand) Ltd. / New Zealand | बैंकिंग Banking | 20849.74 | 46741.74 |
| बॉब (यू.के.) लि./ यू.के. BOB (UK) Ltd. / UK | गैर बैंकिंग Non Banking | 9.27 | 9.27 |
| इंडियाफर्स्ट लाइफ इश्योरेंस कंपनी लि. / भारत India First Life Insurance Company Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 75525.02 | 1132941.26 |
| इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी/ मलेशिया India International Bank (Malaysia) Bhd. / Malaysia | बैंकिंग Banking | 48308.98 | 71907.50 |
| इंडिया इंफ्राडेब्ट लि. / भारत India Infradebt Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 44070.82 | 493940.26 |
| इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड / ज़ाम्बिया Indo Zambia Bank Limited / Zambia | बैंकिंग Banking | 46692.23 | 196589.77 |
| बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि./ भारत Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 4957.52 | 6196.72 |
| बड़ौदा पायोनियर ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि./ भारत Baroda Pioneer Trustee Co. Pvt Ltd / India | गैर बैंकिंग Non Banking | 7.80 | 11.08 |
| बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank / India | बैंकिंग Banking | 114518.60 | 2065311.54 |
| बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank / India | बैंकिंग Banking | 92105.59 | 1494582.39 |
| बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/ भारत Baroda Gujarat Gramin Bank / India | बैंकिंग Banking | 14723.38 | 391449.07 |

डी. उन सभी अनुषंगियों में पूंजीगत विसंगतियों की कुल राशि जो समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं की गई हैं अर्थात् जो घटा दी गई है :

d. **The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:**

| इकाइयों का नाम/ निगमित देश Name of the subsidiaries / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इक्विटी में बैंक के शेयर का (%) % of bank's holding in the total equity | पूंजीगत कमियां Capital deficiencies |
|---|--|---|--|--|
| शून्य / Nil | | | | |

ई. बीमा इकाइयों में बैंक के कुल हित की कुल राशि (अर्थात् वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम-भारित है :

e. **The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:**

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| इश्योरेंस इकाइयों का नाम / निगमित देश Name of the insurance entities / country of incorporation | इकाई का प्रमुख कार्य Principle activity of the entity | कुल तुलनपत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में बताया गया है) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) | कुल इक्विटी में बैंक के शेयर का % / वोटिंग शक्ति का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power | जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method |
|--|--|---|--|--|
| शून्य / Nil | | | | |

एफ. बैंकिंग समूह में नियामक पूंजी अथवा निधियों के ट्रांसफर में कोई प्रतिबंध या अड़चन :

प्रतिबंध तथा अड़चनों के संबंध में मेजबान देशों का स्थानीय कानून तथा विनियम लागू है. समूह इकाइयों के बीच पूंजीगत निधियों का अंतरण प्रतिबंधित है.

डीएफ 2 : पूंजी पर्याप्तता

ए. बैंक जमाकर्ताओं, सामान्य ऋणदाताओं तथा हितधारकों को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है. बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से विकसित किया जा सके.

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत पद्धति, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत

f. **Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:**

In regard to restriction and impediments local laws and regulation of host countries are applicable. The transfer of Capital funds within the Group entities is restricted.

DF 2. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. Capital Planning exercise of the bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at



आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है। पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता।
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है।
- पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है, बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 13% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके। अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी संगृहीत करता है, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है।

समेकित आधार पर (राशि ₹ लाखों में)

(बी) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं (₹ लाखों में)

- मानकीकृत पद्धति के अध्यक्षीय संविभाग : ₹ 3700319.56
- प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर : शून्य

(सी) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

- ब्याज दर जोखिम : ₹ 122285.39
- विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) : ₹ 9449.35
- इक्विटी जोखिम : ₹ 83999.73

(डी) परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

- आधारभूत संकेतक पद्धति : ₹ 337783.47
- मानकीकृत पद्धति (यदि लागू हो) : लागू नहीं

(ई) कॉमन इक्विटी टियर 1 तथा कुल पूंजीगत अनुपात

बैंक ऑफ बड़ौदा (समेकित आधार पर) :
 कुल आरडब्ल्यू के लिए कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी : 9.64%
 कुल आरडब्ल्यू के लिए टियर 1 पूंजी : 10.56%
 कुल पूंजी: 12.80%

डीएफ 3. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति हैं:

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ:

- मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किस्त अतिदेय हो जाती है।
- ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहता है।
- खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहते हैं।

the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.
- The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 13.00% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis

Consolidated Basis (Amt in ₹ Lakhs)

(b) Capital requirements for credit risk:

- Portfolios subject to Standardized approach: ₹ 3700319.56
- Securitizations exposures: Nil

(c) Capital requirements for market risk:

- Interest rate risk: ₹ 122285.39
- Foreign exchange risk (including gold): ₹ 9449.35
- Equity risk: ₹ 83999.73

(d) Capital requirements for operational risk:

- Basic Indicator Approach: ₹ 337783.47
- The Standardized Approach (if applicable): NA

(e) Common Equity Tier 1, and Total Capital ratios:

Bank of Baroda (Consol Basis):
 Common Equity Tier I capital to Total RWA: 9.64%
 Tier I capital to Total RWA: 10.56%
 Total Capital: 12.80%

DF 3. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.
- v. लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.

किसी ओडी / सी सी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो. ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'अनियमित' खाते की श्रेणी में माना जायेगा.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी ऐसी राशि को अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई देय तारीख को अदा नहीं की जाती है.

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है.

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ:

- (i) ब्याज / किस्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहता है.
- (ii) यह अधिमानी शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है.
- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेयरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी ₹ 1/- किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है.
- (iv) यदि निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस निर्गमकर्ता द्वारा अधिमानी शेयरों सहित जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा. तथापि, यदि केवल अधिमानी शेयर ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत हैं तो उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी किसी अन्य कार्य निष्पादन आस्तियों में किया गया निवेश एनपीए नहीं माना जाएगा.
- (v) डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंडों के अध्यधीन हैं.

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

- **अवमानक आस्तियां**

अवमानक आस्ति से अभिप्राय, ऐसी आस्ति से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक आस्ति रही हो.

- **संदिग्ध आस्तियां**

किसी भी आस्ति को, 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा.

- **हानि वाली आस्तियां**

हानि वाली आस्ति से अभिप्राय ऐसी आस्ति से हैं जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो. हानि वाली आस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है.

- (iv) The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- (v) The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI):

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹ 1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions. Those equity shares are also reckoned as NPI.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities, including preference shares issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa. However, if only the preference shares are classified as NPI, the investment in any of the other performing assets issued by the same issuer may not be treated as NPA.
- (v) The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Banks are further classified in to three categories as under:

- **Sub standard Assets**

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

- **Doubtful Assets**

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

- **Loss Assets**

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.



कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है, जो कि निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर (ऋण) सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके गुण एवं उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक में विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण प्रक्रिया- स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, अस्वीकार करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली आदि के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है
ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोत्तरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों.
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनाये ताकि विभिन्न चैनलों को जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके.
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन के मामले में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में सुनियोजित वृद्धि से लक्ष्य प्राप्त किए जाएं.
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना.
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना.
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके.
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना.
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों आदि की अनुपालना करना.

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.

- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- Risk management Committee of Board has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.

- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।
- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान तथा कमियों को पूरा करना।
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना।
- निर्धारित नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.
- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

बैंक की मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ए) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allows the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk:-

(a) Total Gross Credit Risk Exposure:

| विवरण Particulars | (राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs) | |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | निधि आधारित Fund Based | गैरनिधि आधारित Non-Fund Based |
| कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) Total Gross Credit Risk : (Exposure) | 47944137.31 | 10494186.65 |

(बी) एक्सपोजर का भौगोलिक संवितरण, (निधि आधारित तथा गैर आधारित अलग-अलग)

(b) Geographic distribution of exposures, (Fund based and Non-fund based separately)

| विवरण Particulars | (राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs) | |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| | निधि आधारित Fund Based | गैरनिधि आधारित Non-Fund Based |
| कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) (घरेलू + घरेलू अनुषंगिया) Total Gross Credit Risk : (Exposure) (Domestic + Domestic Subsidiaries) | 35134740.35 | 9065109.18 |
| कुल सकल ऋण जोखिम : (एक्सपोजर) (विदेशी + विदेशी अनुषंगिया) Total Gross Credit Risk : (Exposure) (Overseas + Overseas Subsidiaries) | 12809396.96 | 1429077.47 |



(सी) एक्सपोजर का उद्योग टाइप संवितरण (घरेलू) (निधि आधारित तथा गैरनिधि आधारित अलग-अलग) (c) Industry type distribution of exposures (Consolidated) (Fund based and Non-fund based separately):

| क्रम संख्या Sr No | उद्योग | Industry | निधि आधारित FB Exposure | गैर-निधि आधारित NFB Exposure | कुल Total |
|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1ए | खनन एवं उत्खनन | 1 A Mining and Quarrying | 801516.13 | 92620.35 | 894136.48 |
| 2ए.1 | कोयला | 2A.1 Coal | 213552.74 | 16333.60 | 229886.34 |
| 3ए.2 | अन्य | 3A.2 Other | 587963.39 | 76286.75 | 664250.14 |
| 4बी. | खाद्य प्रसंस्करण | 4B. Food Processing | 346711.17 | 21022.27 | 367733.44 |
| 5बी.1 | चीनी | 5B.1 Sugar | 20885.93 | 582.14 | 21468.07 |
| 6बी.2 | खाद्य तेल एवं वनस्पति | 6B.2 Edible Oils and Vanaspati | 66817.43 | 171.11 | 66988.54 |
| 7बी.3 | चाय | 7B.3 TEA | 8869.48 | 0.00 | 8869.48 |
| 8बी.4 | काफी | 8B.4 Coffee | 941.03 | 0.00 | 941.03 |
| 9बी.5 | अन्य | 9B.5 Others | 249197.30 | 20269.02 | 269466.31 |
| 10सी. | पेय पदार्थ | 10C. Beverages | 86675.92 | 21773.90 | 108449.82 |
| 11सी.1 | तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद | 11C.1 Tobacco and tobacco products | 37050.35 | 11077.48 | 48127.84 |
| 12सी.2 | अन्य | 12C.2 Others | 49625.57 | 10696.41 | 60321.98 |
| 13डी. | टैक्सटाइल | 13D. Textiles | 1738014.73 | 363925.69 | 2101940.42 |
| 14डी.1 | कॉटन टैक्सटाइल | 14D.1 Cotton Textile | 838023.38 | 74181.26 | 912204.64 |
| 15डी.2 | जूट टैक्सटाइल | 16D.2 Jute Textile | 20503.25 | 4375.63 | 24878.88 |
| 16डी.3 | हस्तशिल्प / खादी | 16D.3 Handicraft/Khadi | 29269.40 | 5291.97 | 34561.38 |
| 17डी.4 | सिल्क | 17D.4 Silk | 67140.22 | 10410.35 | 77550.57 |
| 18डी.5 | वूलन | 18D.5 Woolen | 38920.28 | 1466.27 | 40386.55 |
| 19डी.6 | अन्य | 19D.6 Others | 744158.20 | 268200.21 | 1012358.41 |
| 20 | डी में से स्पिनिंग मिल्स | 20 Out of D to spinning Mills | 244694.83 | 47626.05 | 292320.88 |
| 21ई. | चमड़ा और चमड़ा उत्पाद | 21E. Leather and Leather products | 44229.04 | 5992.56 | 50221.60 |
| 22एफ. | काष्ठ एवं काष्ठ उत्पाद | 22F. Wood and Wood products | 72839.45 | 10980.53 | 83819.98 |
| 23जी. | कागज एवं कागज उत्पाद | 23G. Paper and Paper products | 215295.48 | 64009.69 | 279305.17 |
| 24एच. | पेट्रोलियम | 24H. Petroleum | 244602.79 | 340034.08 | 584636.87 |
| 25आय. | रसायन और रसायन उत्पाद | 25I. Chemicals and Chemical Products | 1407924.66 | 466990.10 | 1874914.76 |
| 26आय.1 | उर्वरक | 26I1. Fertilizers | 225471.39 | 176586.61 | 402058.00 |
| 27आय.2 | ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल | 27I.2 Drugs and Pharmaceuticals | 390974.35 | 59167.82 | 450142.18 |
| 28आय.3 | पेट्रो-केमिकल्स | 28I.3 Petro-Chemicals | 203420.88 | 72987.99 | 276408.87 |
| 29आय.4 | अन्य | 29I.4 Other | 588058.04 | 158247.68 | 746305.71 |
| 30 | जे. रबड प्लास्टिक एवं अन्य उत्पाद | 30 J.Rubber Plastic and their Products | 464850.95 | 135477.85 | 600328.80 |
| 31के. | ग्लास एवं ग्लासवेयर | 31K. Glass and Glassware | 166465.67 | 86699.49 | 253165.16 |
| 32एल. | सीमेंट एवं सीमेंट उत्पाद | 32L. Cement and Cement Products | 163786.28 | 45725.97 | 209512.25 |
| 33एम. | मूल धातु एवं धातु उत्पाद | 33M. Basic Metal and Metal Products | 2365450.32 | 713336.36 | 3078786.68 |
| 34एम.1 | लौह एवं स्टील | 34M.1 Iron and Steel | 1787286.43 | 556203.53 | 2343489.95 |
| 35एम.2 | अन्य धातु एवं धातु उत्पाद | 35M.2 Other Metal and Metal Products | 578163.89 | 157132.83 | 735296.72 |
| 36एन. | समस्त इंजीनियरिंग | 36N. All Engineering | 913699.47 | 1027363.92 | 1941063.39 |
| 37एन.1 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 37N.1 Electronics | 104840.50 | 101580.34 | 206420.84 |
| 38एन.2 | अन्य इंजीनियरिंग | 38N.2 Other Engg | 808858.97 | 925783.58 | 1734642.55 |

| क्रम संख्या Sr No | उद्योग | Industry | निधि आधारित FB Exposure | गैर-निधि आधारित NFB Exposure | कुल Total |
|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 39ओ. | वाहन, वाहन पुर्जे और परिवहन उपस्कर | 39O. Vehicles, vehicle parts and Transport Equipments | 405559.18 | 77055.17 | 482614.35 |
| 40पी. | जेम्स एवं ज्वैलरी | 40P. Gems and Jewellery | 193364.81 | 5015.72 | 198380.53 |
| 41क्यू. | निर्माण | 41Q. Construction | 778118.00 | 217649.44 | 995767.44 |
| 42आर. | संरचना | 42R. Infrastructure | 3431035.41 | 1292657.57 | 4723692.98 |
| 43आर.1 | परिवहन | 43R.1 Transport | 644624.11 | 484177.77 | 1128801.88 |
| 44आर.1.1 | रेलवे | 44R.1.1 Railways | 5317.25 | 2838.20 | 8155.45 |
| 45आर.1.2 | सड़क परिवहन | 45R.1.2 Roadways | 491820.97 | 449827.03 | 941648.00 |
| 46आर.1.3 | विमानन | 46R.1.3 Aviation | 42134.93 | 7149.09 | 49284.02 |
| 47आर.1.4 | जल परिवहन | 47R.1.4 Waterways | 11677.07 | 2603.27 | 14280.34 |
| 48आर.1.5 | अन्य परिवहन | 48R.1.5 Others Transport | 93673.89 | 21760.18 | 115434.07 |
| 49आर.2 | ऊर्जा | 49R.2 Energy | 1876639.53 | 415423.04 | 2292062.57 |
| 50आर.2.1 | विद्युत जेन-ट्रांस-डिस्ट्रीब्यूशन | 50R.2.1 Electricity gen-trans--distribution | 1723331.71 | 370068.49 | 2093400.20 |
| 51आर.2.1.1 | इनमें से राज्य बिजली बोर्ड | 51R.2.1.1 of which state electricity Board | 116443.67 | 17982.60 | 134426.27 |
| 52आर.2.2 | तेल | 52R.2.2 Oil | 466.40 | 0.00 | 466.40 |
| 53आर.2.3 | गैस / एलएनजी (स्टोरेज एवं पाइप लाइन) | 53R.2.3 Gas/LNG (STORAGE AND PIPELINE) | 0.00 | 470.33 | 470.33 |
| 54आर.2.4 | अन्य | 54R.2.4 OTHER | 152841.42 | 44884.22 | 197725.64 |
| 55आर.3 | टेलिकम्यूनिकेशन | 55R.3 TELECOMMUNICATION | 410656.47 | 190939.35 | 601595.82 |
| 56आर.4 | अन्य | 56R.4 OTHERS | 499115.30 | 202117.41 | 701232.71 |
| 57आर.4.1 | जल स्वच्छता | 57R.4.1 WATER SANITATION | 42251.49 | 74619.40 | 116870.89 |
| 58आर.4.2 | सामाजिक एवं वाणिज्यिक संरचना | 58R.4.2 Social and Commercial Infrastructure | 34074.99 | 24703.02 | 58778.01 |
| 59आर.4.3 | अन्य | 59R.4.3 Others | 422788.82 | 102794.99 | 525583.81 |
| 60एस. | अन्य उद्योग | 60S Other Industries | 560938.44 | 162142.71 | 723081.15 |
| | सभी उद्योग (कुल) | All Industries | 14401077.90 | 5150473.37 | 19551551.27 |
| | अवशिष्ट अन्य अग्रिम | Residuary other advances | 33543059.41 | 5343713.29 | 38886772.70 |
| 61टी.1 | शिक्षा ऋण | 61T.1 Education Loan | 209423.05 | 0.67 | 209423.72 |
| 62टी.2 | विमानन क्षेत्र | 62T.2 Aviation Sector | 248213.64 | 216491.80 | 464705.44 |
| टी.3 | अन्य बकाया अग्रिम | T.3 Other residuary Advances | 33085422.72 | 5127220.82 | 38212643.54 |
| | कुल ऋण एवं अग्रिम | Total Loans & Advances | 47944137.31 | 10494186.65 | 58438323.96 |

उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where exposure is more than 5% of the total credit exposure of the bank (Consolidated) are as follows:

| क्रम सं. Sr no | उद्योग Industry | एक्सपोजर (राशि ₹ लाखों में) Exposure (Amt in ₹ Lakhs) | कुल घरेलू एक्सपोजर का % % of Total Domestic Exposure |
|-------------------|---|---|---|
| 1 | इंफ्रास्ट्रक्चर Infrastructure | 4723692.98 | 8.08% |
| 2 | मूल धातु और धातु उत्पाद Basic Metal and Metal Products | 3078786.68 | 5.27% |



डी. आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण: (राशि ₹ लाखों में)

d. Residual maturity breakdown of assets: (Amt in ₹ Lakhs)

| समयावधि Time Bucket | 1 D | 2-7 D | 8-14 D | 15-30 D | 31-2 M | 2-3 M | 3 - 6 M | 6 - 12 M | 1 - 3 Y | 3 - 5 Y | Over 5 Y | TOTAL |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| सेंट्रल बैंक के पास नकदी एवं शेष Cash and Balance with Central Banks | 2054137 | 13494 | 1966 | 144969 | 57966 | 128282 | 231929 | 295545 | 620178 | 156535 | 611637 | 4316637 |
| बैंक के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि Balances with Banks & Money at call & short notice | 187790 | 2807905 | 978334 | 1024891 | 1339202 | 1533191 | 2009747 | 1168187 | 10948 | 0 | 34668 | 11094863 |
| अग्रिम Advances | 883632 | 864189 | 841377 | 1429883 | 1527043 | 2175348 | 3364023 | 2639866 | 12301976 | 4481509 | 8717384 | 39226230 |
| निवेश Investments | 4003120 | 140208 | 111940 | 92646 | 80303 | 369599 | 262771 | 529434 | 1396192 | 1852822 | 5232608 | 14071643 |
| अचल आस्तियां Fixed assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 592019 | 592967 |
| अन्य आस्तियां Other assets | 117180 | 43185 | 12668 | 32184 | 57409 | 24056 | 50246 | 25271 | 93262 | 56012 | 2108238 | 2619711 |
| कुल Total | 7245859 | 3868982 | 1946284 | 2724573 | 3061924 | 4230476 | 5918716 | 4658303 | 14423505 | 6546877 | 17296554 | 71922051 |

ई) एनपीए की राशि (कुल)

(e) Amount of NPAs (Gross):

| क्रमांक | आस्ति श्रेणी | Sr. No. | Asset Category | राशि ₹ लाख में (कुल) Amount in ₹ Lakhs (Total) |
|---------|---|---------|---|---|
| (एफ) | एनपीए (सकल) | (f) | NPAs (Gross): | 4338030.87 |
| | अवमानक | | Substandard | 903597.35 |
| | संदिग्ध 1 | | Doubtful 1 | 961501.48 |
| | संदिग्ध 2 | | Doubtful 2 | 1595674.43 |
| | संदिग्ध 3 | | Doubtful 3 | 395664.02 |
| | हानि | | Loss | 481593.59 |
| (जी) | शुद्ध एनपीए | (g) | Net NPA's | 1837147.26 |
| | कुल | | Total | |
| (एच) | एनपीए अनुपात | (h) | NPA Ratios | |
| | सकल अग्रिमों में सकल एनपीए | | Gross NPAs to gross advances | 10.38% |
| | निवल अग्रिम में निवल एनपीए | | Net NPAs to net advances | 4.68% |
| (आई) | एनपीए (सकल) का मूवमेंट | (i) | Movement of NPA(Gross) | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | 4088859.47 |
| | जोड़ | | Additions | 1365284.59 |
| | कमी | | Reductions | 1117161.93 |
| | | | Any other adjustments due to Exchange Diff | 1048.74 |
| | अन्तिम शेष | | Closing balance | 4338030.87 |
| (जे) | विशिष्ट प्रावधान | (j) | Specific Provision | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | 2134406.98 |
| | वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान | | Provision made during the year | 840065.13 |
| | बढ़े खाता डालना (कटौती एवं विनिमय अंतर) | | Write off (Deduction & Exch Diff) | 478914.77 |
| | अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन | | Any Other Adjustments | 0.00 |
| | अंतिम शेष | | Closing balance | 2495557.34 |
| | ऐसे बढ़े खाते जो सीधे ही आय विवरण पत्र में शामिल किए गए हैं | | Write-offs that have been booked directly to income statement | 8637.13 |
| | वसूली, जो सीधे ही आय विवरण पत्र में शामिल की गई हैं | | Recoveries that have been booked directly to income statement | 17313.66 |
| (के) | सामान्य प्रावधान | (k) | General Provision | |

(ई) एनपीए की राशि (कुल)
(e) Amount of NPAs (Gross):

| | | | | | |
|------|--|---------|--|--|------------|
| (एल) | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | | 429939.00 |
| (एम) | अवधि के दौरान किया गया प्रावधान | | Provision made during the year | | 70300.00 |
| | बढ़ाकृत (कटौती एवं विनिमय अंतर) | | Write off (Deduction & Exch Diff) | | 0.00 |
| | अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन | | Write-back of excess provisions | | 31813.00 |
| | क्लोजिंग प्रावधान | | Closing Provision | | 468426.00 |
| | अनर्जक निवेश | | Non Performing Investments | | |
| | अनर्जक निवेश की राशि | (l) | Amount of Non-Performing Investments | | 69701.70 |
| | अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यहास प्रावधानों की राशि | (m) | Amount of provisions held for non-performing investment | | 58173.87 |
| (एन) | निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधानों का मूवमेंट | (n) | Movement of provisions for depreciation on investments | | |
| | प्रारंभिक शेष | | Opening balance | | 113262.79 |
| | अवधि के दौरान किया गया प्रावधान | | Provisions made during the period | | 10193.42 |
| | बढ़ा खाते डालना | | Write-off | | 9.98 |
| | अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन | | Write-back of excess provisions | | 8355.99 |
| | अंतिम शेष | | Closing balance | | 115090.24 |
| (ओ) | प्रमुख उद्योग या काउंटर पार्टि प्रकार | (o) | By major Industry or Counter party type | | |
| | सर्वोच्च 5 उद्योगों की एनपीए राशि | | NPA amount of top 5 industries | | |
| | बेसिक मेटल एवं मेटल उत्पाद | | Basic Metal & Metal products | | 1008319.80 |
| | आधारभूत संसाधन | | Infrastructure | | 339233.81 |
| | टेक्सटाइल्स | | Textiles | | 229276.47 |
| | खनन एवं उत्खनन | | Mining and Quarrying | | 218434.78 |
| | विमानन क्षेत्र | | Aviation Sectors | | 217399.34 |
| | ii) उपरोक्त पांच उद्योगों के लिए विशिष्ट प्रावधान | ii) | Specific provision of the above mentioned 5 industries | | 866204.42 |
| | iii) ए. चालू अवधि में विशिष्ट प्रावधान | iii) a- | Specific provisions during the current period | | 109876.87 |
| | iii) बी. चालू अवधि में बड़े खातों में डालना | iii) b- | Write offs during the current period | | 1902.81 |
| (पी) | विशिष्ट प्रावधानों सहित विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र द्वारा अलग से प्रावधानित सकल एनपीए की राशि | (p) | Amt. of Gross NPAs provided separately by significant geographical areas including specific provisions | | |
| | | | | सकल एनपीए Gross NPA | |
| | | | | घरेलू Dom | 3493451.42 |
| | | | | घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary | 17365.16 |
| | | | | अंतरराष्ट्रीय Intl | 778419.26 |
| | | | | अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary | 48795.03 |
| | विशिष्ट प्रावधान | | Specific Provisions | विशिष्ट प्रावधान Specific Provisions | |
| | | | | घरेलू Dom | 1962560.58 |
| | | | | घरेलू अनुषंगियां Dom subsidiary | 8121.91 |
| | | | | अंतरराष्ट्रीय Intl | 501236.00 |
| | | | | अंतरराष्ट्रीय अनुषंगियां Intl subsidiary | 23638.85 |



डीएफ 4 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), आइसीआरए, स्मेरा (एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि.) एवं घरेलू एक्सपोजर के लिए ब्रिक वर्क इंडिया प्रा. लि. की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टेण्डर्ड एवं पूअर, मूडी एवं फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक, कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के (पीएसई) उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है। निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशि का बकाया शेष इस प्रकार है।

| जोखिम भार की श्रेणी | Category of Risk Weight | कुल (राशि ₹ लाखों में) TOTAL (Amt in ₹ Lakhs) |
|-------------------------------|-----------------------------|--|
| 100% जोखिम भार से कम | Below 100% risk weight | 32,339,508.06 |
| 100% जोखिम भार | 100% risk weight | 16,237,878.55 |
| 100% जोखिम भार से अधिक | More than 100 % risk weight | 6,505,752.34 |
| सीआरएम कटौती | CRM DEDUCTED | 3,355,185.01 |
| कुल एक्सपोजर (एफ बी+एन एफ बी) | Total Exposure (FB+NFB) | 58,438,323.96 |

डीएफ 5. अग्रिम जोखिम न्यूनिकरण : मानकीकृत पद्धति का प्रकटीकरण

ए. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती है) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है। जहाँ कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

- स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
- भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ।
- अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
- बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआइसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
- ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा अनुमोदित
- ऋण प्रतिभूतियाँ - रेटिंग नहीं की गई कतिपय शर्तों के साथ एक बैंक द्वारा जारी
- म्यूचुअल फंडों की यूनितें
- गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन।
- स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक के पास, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति उपलब्ध है।

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति बासेल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी के कारक के रूप में लिया है

DF 4. Credit Risk : Disclosures for Portfolios Subject to the Standardized Approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), ICRA, SMERA (SME Rating Agency of India Ltd.) and Brickwork India Pvt Ltd for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

DF 5. Credit risk mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(a) Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

- Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
- Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
- Shares as per approved list
- Bank's own deposits
- NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
- Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
- Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
- Units of Mutual funds
- Cash Margin against Non-fund based facilities
- Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants for on-balance sheet netting under Basel-II standardized approach for credit risk, following Comprehensive Approach of Basel II norms.

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटीदाताओं के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियां)
- कॉर्पोरेट्स / पी एस ई
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में उपलब्ध होते हैं अर्थात ये कुल सीआरएम का प्रमुख भाग होते हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं।

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएमएसई, काउंटर पार्टियों की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाएं (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबद्ध कंपनियां) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं।

बी. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate/PSEs
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies constitute a major percentile of total CRM.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTSI, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| ऋण जोखिम पोर्टफोलियो | Credit Risk Portfolio | Total |
|------------------------------|------------------------|------------|
| देशी गारंटी | Domestic Sovereign | 718.79 |
| विदेशी गारंटी | Foreign Sovereigns | 0.00 |
| सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां | Public Sector Entities | 142149.31 |
| एमडीबीएस, बीआइएस एवं आइएमएफ | MDBS, BIS and IMF | 0.00 |
| बैंकों पर दावे | Claims on Banks | 22940.74 |
| प्राथमिक डीलर्स | Primary Dealers | 37.26 |
| कॉर्पोरेट | Corporate | 2211943.15 |
| क्षेत्रीय रिटेल संविभाग | Reg Retail Portfolio | 916880.25 |
| आवासीय संपत्ति | Residential Property | 6512.73 |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट | Commercial Real Estate | 23415.48 |
| विनिर्दिष्ट श्रेणियां | Specified Categories | 27856.04 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 2731.27 |
| कुल | TOTAL | 3355185.02 |



सी. एक्सपोजरों का विवरण, जो कि गारंटियों द्वारा कवर किए गए हैं, (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत)

c. Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| स्वरूप | आस्तियों की प्रकृति Nature asset desc | डीआईसीजीसी DICGC | सीजीएफटी CGFT | ईसीजीसी ECGC | सीजीएफटीएमएसई CGTMSE | एए एण्ड ए गारंटी AA & A Gty | राज्य सरकार गारंटी State govt gty | केन्द्रीय सरकार गारंटी Central govt gty | बैंक गारंटी Gty by Banks |
|------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां | Public Sector Entity | 0.00 | | | | | 178263.50 | 850.00 | |
| बैंकों पर दावे | Claims on Banks | 0.00 | | | | | | | |
| कॉर्पोरेट | Corporate | 0.00 | | 541565.16 | | | 31077.93 | | |
| विनियामक रिटेल संविभाग | Regulatory Retail Portfolio | 4.30 | 8286.60 | 4095.71 | | | 38793.64 | 267049.80 | 116.27 |
| आवासीय संपत्ति | Residential Property | 0.00 | | | | | | | |
| वाणिज्यिक रियल इस्टेट | Comml. Real Estate | 0.00 | | | | | | 4.32 | |
| विनिर्दिष्ट श्रेणियां | Specified Categories | 0.00 | 5.45 | | | | | | 5.37 |
| अन्य आस्तियां | Other Assets | 0.00 | | | | | | 531871.20 | |
| कुल | TOTAL | 4.30 | 8292.05 | 545660.87 | 0.00 | 0.00 | 248135.07 | 799775.32 | 121.64 |

डीएफ 6. प्रतिभूतीकरण

ए. बैंक की प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है. नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं.

बी. दिनांक 31 मार्च, 2017 को बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है.

प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है.

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

DF 6. Securitization:

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, and advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

b. The Bank does not have any case of its assets securitized as on 31st March' 2017

There is no case of retained exposure in respect of securitization

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under: -

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| बाह्य ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी Risk weight category as per external credit rating | बही मूल्य Book value | बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book | जोखिम भार % RW % | जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value |
|--|-------------------------|---|---------------------|---|
| कुल/Total | | | | शून्य/NIL |

सी. बैंक की वर्ष 2016-17 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण करने की कोई योजना नहीं है।

डीएफ 7. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम का प्रबंधन किया जाता है:

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, हानिरोधक सीमाएं, और मूल्य जोखिम सीमाएं. जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं. हानिरोधक सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों को ध्यान में लेती है.

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय सविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है यथा मानकीकृत अवधि पद्धति. इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है. ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-III के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है.

दिनांक 31 मार्च 2017 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं.

| | | 10.25% पर न्यूनतम पूंजी प्रभार (राशि लाखों में) Minimum Capital Charge at 10.25% (Amt in Lakhs) |
|----------------------|-----------------------|--|
| ब्याज दर जोखिम | Interest Rate Risk | 122285.39 |
| इक्विटी स्थिति जोखिम | Equity Position Risk | 9449.35 |
| विदेशी मुद्रा जोखिम | Foreign Exchange Risk | 83999.73 |
| कुल पूंजी प्रभार | Total Capital Charge | 215734.47 |

डीएफ 8. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है. मूल सूचक पद्धति के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति तक लाने को ध्यान में रखा गया है.

डीएफ 9. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ए. ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है.

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि): इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है.

जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया जाता है.

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है.
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं.
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है.

c. The bank does not presently plan to securities any of its standard assets during the year 2016-17.

DF 7. Market risk in trading book:

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardized Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-III

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardized Duration Approach) as on 31st March 2017 are as under:

DF 8. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets.

DF 9. Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach.

The Earning at Risk is analyzed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend.



- (ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)
यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके.
- इस पद्धति को आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है.
 - इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है.
 - संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है.
- बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है. घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.
- बी. अर्जन में वृद्धि / कमी तथा ब्याज दरों में परिवर्तन हेतु आर्थिक मूल्य निम्नानुसार हैं:
- (i) जोखिम पर अर्जन: ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि के कारण एक वर्ष तक की अवधि के लिए दिनांक 31 मार्च 2017 को ब्याज की संवेदनशील स्थिति के संबंध में ब्याज दरों में हुए परिवर्तन की शुद्ध ब्याज आय पर प्रभाव को निम्न सारणी में दिया गया है :

- (ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)
Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.
- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
 - Impact on the Economic Value of Equity is also analyzed for a 200 bps rate shock as required by RBI.
 - Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.
- The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both Domestic as well as Overseas Operations. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.
- b. The increase (decline) in earnings and economic value for change in interest rate shocks are as under:-
- (i) Earning at Risk: The following table sets forth the impact on the net interest income of changes in interest rates on interest sensitive positions as on 31st March 2017, for a period of one year due to 200 basis point upward movement in the interest rate:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| मुद्रा | Currency | ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स वृद्धि 200 Basis point upward movement in the interest rates |
|----------|----------|--|
| आई एन आर | INR | -12744.00 |
| युरो | EUR | 506.01 |
| जीबीपी | GBP | 10102.78 |
| युएसडी | USD | 17927.11 |
| अन्य | Rest | 14658.92 |

- ii) आर्थिक मूल्य: 31 मार्च 2017 को ब्याज दरों की संवेदनशील स्थिति के संबंध में ब्याज दरों में हुए परिवर्तन का इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव निम्न सारणी में दिया गया है

- (ii) Economic Value: The following table sets forth the impact on economic value of equity of changes in interest rates on interest sensitive positions at 31st March 2017,

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| मुद्रा | Currency | ब्याज दरों में 200 बेसिस प्वाइंट्स की वृद्धि के कारण इक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन Change in Market Value of Equity due to 200 basis point upward movement in interest rate. |
|-------------|----------|---|
| आई एन आर | INR | -166698.11 |
| युरो | EUR | 2440.82 |
| जीबीपी | GBP | 20988.85 |
| युएसडी | USD | -31535.27 |
| अन्य / Rest | Rest | -5280.98 |

डीएफ 10. प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(ए) प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनेल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है. यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है. इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि-जोखिम का सामना करता है, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात् संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचलन के साथ ही भिन्न हो सकता है.

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है.

बैंक अपने ग्राहकों को डेरीवेटिव उत्पादों के समान ही बहुत से उत्पाद ऑफर करता है ताकि वे ब्याज दर तथा मुद्रा संबंधी अपनी एक्सपोजर के साथ लेन-देन कर सकें और डेरीवेटिव के लिए प्रचलित बाजार मूल्य से अधिक मार्जिन अर्जित कर सकें. सभी ओवर द काउंटर डेरीवेटिव प्रतिपक्षी ऋण जोखिम की ओर ले जाते हैं, जिन्हें नियमित अंतराल पर बैंक मॉनीटर करता है. इन संव्यवहारों के लिए मार्जिन ऋण जोखिम की गुणवत्ता और मात्रा साथ ही इक्विटी पर वांछित प्रति लाभ को हिसाब में लिया जाता है.

बैंक का प्रतिपक्षी ऋण जोखिम, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है. बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं - अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण संव्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए और फिर तदनुसार संव्यवहार में अपेक्षित ऋण जोखिम कमी का निर्णय करता है.

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम को कम करने तथा मॉनीटर करने के लिए, कार्पोरेट को दिए गए शेष डेरीवेटिव संव्यवहारों की मॉनीटरिंग मासिक आधार पर की जाती है, और बैंक की तिमाही आधार पर.

बी. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक द्विपक्षीय समायोजन को मान्यता प्रदान नहीं करता है. डेरीवेटिव एक्सपोजर की गणना करंट एक्सपोजर मैथड के आधार पर की जाती है तथा 31.03.2017 को बकाया शेष नीचे दिया जा रहा है:-

DF 10. General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(a) Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Bank offers many products like derivative products to customers to enable them to deal with their exposures to interest rate and currencies and to earn a margin over the ruling market price for the derivative. All over-the-counter derivative leads to counterparty credit exposures which bank monitors on a regular basis. The margin loaded for these transactions also take into account of the quality and quantity of the credit risk, and the desired return on equity.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

To mitigate and monitor the counter party credit exposure, the outstanding derivative transactions to corporate are monitored on a monthly basis and that to the Banks on quarterly basis.

b. Quantitative Disclosures

The Bank does not recognize bilateral netting. The derivative exposure is calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance out standing as on 31.03.2017 is given below:

(राशि ₹ लाखों में / Amt in ₹ Lakhs)

| विवरण | Particulars | कल्पित राशि Notional Amounts | वर्तमान एक्सपोजर Current Credit Exposure (under CEM) |
|--|---|---------------------------------|---|
| वायदा फॉरेक्स संविदा (14 दिन या उससे कम) | Forward forex Contracts (less than or equal to 14 days) | 3530849.63 | 76044.27 |
| वायदा फॉरेक्स संविदाएं (14 दिन से अधिक) | Forward forex Contracts (over 14 days) | 10150940.22 | 534826.33 |
| मुद्रा की अदला - बदली | Currency Future | 0.00 | 0.00 |
| मुद्रा विकल्प | Currency Options | 78904.06 | 1782.46 |
| ब्याज दर (फ्यूचर) | Interest rate future | 0.00 | 0.00 |
| पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर की अदला - बदली | Cross Currency Interest Rate Swap | 56682.17 | 12733.83 |
| एकल मुद्रा ब्याज दर की अदला - बदली | Single Currency Interest Rate Swap | 1461412.73 | 36363.75 |



सारणी डीएफ-11- पूंजी संयोजन

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण नमूना

(संधिकाल - 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक)

Table DF – 11: Composition of Capital

Basel III Common disclosure template (Transitional Period - April 1 2013 to December 31 2017)

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|
| | सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत एवं प्रारक्षित निधियां | Common Equity Tier 1 Capital : instruments and reserves | | | |
| 1 | प्रत्यक्षतः जारी की गई विशेषक सामान्य शेयर पूंजी तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) | Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium) | 112483.02 | | A+D |
| 2 | संबद्ध अर्जन | Retained Earnings | 263200.20 | | B+E+F+(75%H)+ Includes Minority share of ₹ 901.5 million of J |
| 3 | संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य प्रारक्षित निधि) | Accumulated other comprehensive income (and other reserve) | 30411.90 | | C (less) Revaluation reserve + 45% of Revaluation Reserve |
| 4 | प्रत्यक्षतः जारी की गई पूंजी जो चरणबद्ध रूप से सीईटी 1 के अधीन है. (केवल गैर सहयोगी स्टॉक कंपनियों के लिए लागू) | Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies) | | | |
| | सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजीगत अभिदान को 1 जनवरी, 2018 तक संरक्षण | Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018 | | | |
| 5 | अनुषंगियों द्वारा जारी की गई तथा तृतीय पक्ष द्वारा रखी गई सामान्य शेयर पूंजी. (समूह सीईटी 1 में अनुमत प्राप्त राशि) | Common Share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1) | | | |
| 6 | विनियामक समायोजन से पहले सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूंजी | Common Equity Tier 1 Capital before regulatory adjustment | 406095.12 | 0.00 | |
| | सामान्य ईक्विटी टियर-1 पूंजी विनियामक समायोजन | Common Equity Tier 1 Capital : regulatory adjustment | | | |
| 7 | विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन | Purdential Valuation Adjustment | | | |
| 8 | साख (संबद्ध कर देयता का शुद्ध) | Goodwill (net of realted tax liability) | | | |
| 9 | बंधक के अलावा अमूर्त सेवा अधिकार (कर देयता का शुद्ध) | Intangibles other than mortgage-service rights (net of tax liability) | | | |
| 10 | आस्थगित कर आस्तियां | Deferred tax assets | 3046.39 | | |
| 11 | नकदी प्रवाह बचाव प्रारक्षित निधि | Cash-flow hedge reserve | | | |
| 12 | अनुमानित हानि हेतु कमी के लिए प्रावधान | Shortfall of provision to expected loss | | | |
| 13 | बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ. | Securitisation Gain on sale | | | |

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|--|--|----------------------------|--|--|
| 14 | उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि | Gains & losses due to changes in own credit risk on fair values liabilities | | | |
| 15 | परिभाषित लाभ पेंशन निधि शुद्ध आस्तियां | Defined-benefit pension fund net assets | | | |
| 16 | निजी शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में चुकता पूंजी का समायोजन पहले से न किया हो.) | Investment in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet) | | | |
| 17 | सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस धारिता | Reciprocal cross holdings in common equity | 155.60 | 0.00 | {PART OF P} |
| 18 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति से बाहर हैं जहां जारी की गई शेयर पूंजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं है. (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investment in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold) | | | |
| 19 | बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो विनियामक समेकन क्षेत्र, पात्र अधिक बिक्रय की स्थिति के शुद्ध से बाहर है. (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि) | Significant investment in the common stock of banking financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short position (amount above 10% threshold) | 2750.00 | 0.00 | PART OF R |
| 20 | बंधक सेवा (सर्विसिंग) अधिकार (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि) | Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold) | | | |
| 21 | अस्थायी अंतरों से होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारंभ में 10% से अधिक की राशि संबंधित कर देयता का शुद्ध) | Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability) | | | |
| 22 | प्रारंभिक 15% से अधिक राशि. | Amount exceeding the 15% threshold | | | |
| 23 | जिसमें से वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश. | of which : significant investments in the common stock of financial entities | | | |
| 24 | जिसमें में बंधक सेवा अधिकार. | of which : mortgage servicing rights | | | |
| 25 | जिसमें से अस्थायी अंतरों से होने वाली आस्थगित कर देयता. | of which : deferred tax assets arising from temporary differences | | | |
| 26 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी) | National specific regulatory adjustment (26a+26b+26c+26d) | | | |
| 26a | जिसमें से असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश | of which : Investment in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries | 2750.00 | 0.00 | PART OF R |



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|--|--|--|
| 26b | जिसमें से असमेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश. | of which : Investment in the Equity Capital of the unconsolidated non-financial subsidiaries | | |
| 26c | जिसमें से बहुत सी निजी वित्तीय संस्थाओं की ईक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक में समेकित नहीं हुई है. | of which : Shortfall in the Equity Capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | | |
| 26d | जिसमें से अशोधित पेंशन निधि व्यय | of which : Unamortised pension funds expenditure | | |
| 27 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण सामान्य ईक्विटी टियर 1 के संबंध में विनियामक समायोजन किया गया | Regulatory adjustment applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Tier 1 and Tier 2 to cover deduction | | |
| 28 | सामान्य ईक्विटी-1 टियर-1 के लिए कुल विनियामक समायोजन. | Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1 | 5951.99 | 0.00 |
| 29 | सामान्य ईक्विटी-टियर 1 पूंजी (सीईटी-1) | Common Equity Tier 1 Capital (CET 1) | 400143.13 | |
| | अतिरिक्त टियर-1 पूंजी- लिखत. | Additional Tier 1 capital : instruments | | |
| 30 | प्रत्यक्षतः जारी किए गए सापेक्ष अतिरिक्त टियर-1 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष (31 + 32) | Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32) | | |
| 31 | जिसमें से लागू लेखा मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (पीएनसीपीएस) | of which : classified as equity under applicable accounting standards (PNCPS) | | |
| 32 | जिसमें से लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं. (शाश्वत ऋण लिखत) | of which : classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual Debt Instruments) | 30000.00 | 0.00 |
| 33 | फेज आउट फॉर्म- अतिरिक्त टियर-1 के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पूंजीगत लिखत. | Directly issued capital instruments subject to phase out form Additional Tier 1 | 9558.50 | 1911.70 |
| 34 | अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए और थर्ड पार्टी द्वारा रखे गए (राशि की अनुमति समूह एटी-1 में की गई है) अतिरिक्त टियर-1 लिखत तथा सीईटी-1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं.) | Additional Tier 1 instruments (and Cet 1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1) | | |
| 35 | जिसमें से फेज आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी की गई राशि | of which : amount issued by subsidiaries subject to phase out | | |
| 36 | विनियामक समायोजन के पहले अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | Additional Tier 1 capital before regulatory adjustment | 39558.50 | 1911.70 |

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|--|--|--|
| 37 | निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश | Investments in own Additional Tier 1 instruments | | |
| 38 | अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारता | Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments | 1277.30 | 0.00 {PART OF Q+S} |
| 39 | बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं जो विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर है तथा जहां बैंक की हिस्सेदारी जारी की गई संस्था की सामान्य शेयर पूंजी में 10% से अधिक नहीं है. की पूंजी में निवेश (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold) | | |
| 40 | बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है, में महत्वपूर्ण निवेश. (पात्र शॉर्ट पोजीशन का निवल) | Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short position) | 0.00 | 0.00 Part of R |
| 41 | विशिष्ट राष्ट्रीय विनियामक समायोजन (41ए+41बी) | National specific regulatory adjustment (41a+41b) | | |
| 41a | असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में निवेश | Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries | | |
| 41b | अधिकतर निजी वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 की पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं है. | Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | | |
| | बासेल III पूर्व की ट्रीटमेंट के अधीन (कृपया टिप्पणी वाले कॉलम में लिखें) राशि के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 को लागू विनियामक समायोजन | Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 in respect of amounts subject to Pre-Basel III treatment (please specify the details in remarks column) | | |
| | जिसमें से साख और अमूर्त आस्तियां | of which : Goodwill And Intangible Assets | | |
| | जिसमें से अनुषंगियों में निवेश (अनुषंगियों से लाया गया.) | of which : Investment in Subsidiaries c/f from Subsidiaries | | |
| | जिसमें से सभी आस्थगित कर आस्तियां | of which : All Deferred Tax Assets | | |
| 42 | कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लागू किए गए विनियामक समायोजन | Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions | | |
| 43 | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन | Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital | 1277.30 | 0.00 |
| 44 | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)पूंजी | Additional Tier 1 capital (AT1) capital | 38281.20 | |



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|--|--|---|
| 44a | पूँजी पर्याप्तता हेतु अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1) की गणना | Additional Tier 1 capital (AT1) reckoned for capital adequacy | 38281.20 | |
| 45 | टियर 1 पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) | Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) | 438424.33 | |
| 46 | प्रत्यक्षतः जारी किए सापेक्ष टियर 2 लिखत तथा संबद्ध स्टॉक अधिशेष | Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus | | |
| 47 | प्रत्यक्षतः जारी किए गए पूँजीगत लिखत जो फेज आउट टियर 2 के अधीन है | Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2 | 55227.50 | 35227.50 PART OF T (After Grandfathering) + V |
| 48 | टियर 2 लिखत (तथा सीईटी1 व एटी1 लिखत - जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए हैं. अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए तथा थर्ड पार्टियों द्वारा रखे गए (राशि की अनुमति ग्रुप टियर 2 में दी गई है). | Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2) | 0.00 | |
| 49 | जिसमें से अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत (फेज आउट के अधीन) | of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out | 0.00 | |
| 50 | प्रावधान | Provisions | 38284.20 | G and part of (X and W) |
| 51 | टियर 2 - पूँजी विनियामक समायोजन से पहले | Tier 2 capital before regulatory adjustments | 93511.70 | |
| 52 | निजी टियर 2 लिखतों में निवेश | Investments in own Tier 2 instruments | | |
| 53 | टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारता | Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments | 580.90 | 0 {PART OF Q+S} |
| 54 | बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में निवेश, नियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर हैं. जहां संस्था की जारी की गई सामान्य शेयर पूँजी से बैंक की हिस्सेदारी 10% से अधिक नहीं हैं. (प्रारंभ में 10% से अधिक राशि) | Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold) | | |
| 55 | बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूँजी में महत्वपूर्ण निवेश, जो विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर है (पात्र शॉर्ट स्थिति का निवल) | Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions) | | |
| 56 | राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56a+56b) | National specific regulatory adjustments (56a+56b) | | |

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) | |
|-------------------|---|---|--|--|-----------|
| 56a | जिसमें से : असमेकित अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश | of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries | 0.00 | 0.00 | PART OF R |
| 56b | जिसमें से : अपनी निजी पूर्ण वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई है | of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank | | | |
| 56c | बासेल III पूर्व की ट्रीटमेंट के अधीन राशि के संबंध में टियर 2 में लागू विनियामक समायोजन | Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment | | | |
| 57 | टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन | Total regulatory adjustments to Tier 2 capital | 580.90 | | |
| 58 | टियर 2 पूंजी | Tier 2 capital | 92930.80 | | |
| 58a | पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना की गई टियर 2 पूंजी | Tier 2 Capital reconed for Capital Adequacy | 92930.80 | | |
| 58b | टियर 2 पूंजी के रूप में गणना की जाने वाली कोई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | Any Excess Additional Tier 1 capital to be reckoned as Tier 2 capital | 0.00 | | |
| 58c | पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए + 58बी) | Total Tier 2 Capital admissible for capital adequacy (58a+58b) | 92930.80 | | |
| 59 | कुल पूंजी (कुल पूंजी = टी1 + टी2) (45 + 58 सी) | Total Capital (TC = T1 + T2) (45+58c) | 531355.13 | | |
| 60 | कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी) | Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c) | 4150085.34 | | |
| 60a | जिसमें से : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां | of which: total credit risk weighted assets | 3610067.86 | | |
| 60b | जिसमें से : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां | of which: total market risk weighted assets | 210472.63 | | 100 |
| 60c | जिसमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां | of which: total operational risk weighted assets | 329544.86 | | |
| | पूंजी अनुपात | Capital ratios | | | |
| 61 | सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) | 9.64 | | |
| 62 | टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets) | 10.56 | | |
| 63 | कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Total capital (as a percentage of risk weighted assets) | 12.80 | | |



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|---|--|--|
| 64 | संस्था विशेष की बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों की प्रतिशत के रूप में प्रकटित न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्र्रीय बफर आवश्यकता) | Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets) | 0.00 | |
| 65 | जिसमें से : पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता | of which: capital conservation buffer requirement (as a percentage of risk weighted assets) | 1.25 | |
| 66 | जिसमें से : बैंक विशेष की प्रतिचक्र्रीय बफर आवश्यकता | of which: bank specific countercyclical buffer requirement | 0.00 | |
| 67 | जिसमें से : जी-एसआईबी बड़ी आवश्यकता | of which: G-SIB buffer requirement | 0.00 | |
| 68 | बफर आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) | Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets) | 0.00 | |
| | राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (यदि बासेल III से भिन्न हो) | National minima (if different from Basel III) | | |
| 69 | राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | |
| 70 | राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | |
| 71 | राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) | National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum) | 0.00 | |
| | कटौती के लिए निर्दिष्ट सीमारेखा से नीचे की राशि (जोखिम भारिता से पहले) | Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting) | | |
| 72 | अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश | Non-significant investments in the capital of other financial entities | 0.00 | |
| 73 | वित्तीय इकाइयों के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश | Significant investments in the common stock of financial entities | 0.00 | |
| 74 | बंधक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयताओं का निवल) | Mortgage servicing rights (net of related tax liability) | 0.00 | |
| 75 | अस्थायी अंतरों से निकली आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं का निवल) | Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability) | 0.00 | |
| | टियर 2 में प्रावधानों के समावेश पर लागू उच्चतम सीमा | Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 | | |

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| प्र.सं. Sr. No | मद Items | पात्र राशि Eligible Amt | बेसल III के पूर्व व्यवहारों के अधीन राशि Amounts Subject to Pre Basel III Treatments | संदर्भ सं. Ref No. (From Step 2) |
|-------------------|---|----------------------------|--|--|
| 76 | मानकीकृत पद्धति के एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व) | 38284.20 | | |
| 77 | मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेश की उच्चतम सीमा (36100678.63 का 1.25%) | 45125.85 | | |
| 78 | आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में समावेश के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा के लागू होने से पूर्व) | NA | | |
| 79 | आंतरिक रेटिंग आधारित पद्धति के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के समावेशन के लिए उच्चतम सीमा | NA | | |
| | हटाने की व्यवस्था के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च, 2017 एवं 31 मार्च, 2022 के बीच लागू) | | | |
| 80 | हटाने की व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा | NIL | | |
| 81 | उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त) | NIL | | |
| 82 | हटाने की व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों में वर्तमान उच्चतम सीमा | 9558.50 | | |
| 83 | उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त) | 1911.70 | | |
| 84 | हटाने की व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा | 55227.50 | | |
| 85 | उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से निकाल दी गई राशि (शोधन तथा परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अपर अतिरिक्त) | 35227.50 | | |



सारणी डीएफ-12: पूंजी का संयोजन- समाधान आवश्यकताएं:

Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| विवरण | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र |
|---|---|--|---|
| | | Balance sheet as in financial statements | Balance sheet under regulatory scope of consolidation |
| | | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| ए पूंजी एवं देयताएं | A Capital & Liabilities | | |
| i प्रदत्त पूंजी | i Paid-up Capital | 4620.93 | 0 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | Reserves & Surplus | 426054.79 | 0 |
| अल्प हित | Minority Interest | 2325.28 | 0 |
| कुल पूंजी | Total Capital | 433001.00 | 0 |
| ii जमाराशियां | ii Deposits | 6172568.66 | 0 |
| जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां | of which: Deposits from banks | 691900.88 | 0 |
| जिसमें से : ग्राहक जमाराशियां | of which: Customer deposits | 5480667.78 | 0 |
| जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें) | of which: Other deposits (pl. specify) | 0.00 | 0 |
| जिसमें से : भारत में स्थित शाखाओं से जमा राशियां | of which: Deposit from branches in India | 4467071.78 | |
| जिसमें से : भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमा राशियां | of which: Deposit from branches outside India | 1705496.88 | |
| iii उधार | iii Borrowings | 312420.02 | 0 |
| जिसमें से : भा.रि.बैं से | of which: From RBI | 0.00 | 0 |
| जिसमें से : बैंकों से | of which: From banks | 4249.15 | 0 |
| जिसमें से:अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से | of which: From other institutions & agencies | 22225.12 | 0 |
| जिसमें से : भारत से बाहर उधार | of which: borrowing outside India | 161828.74 | 0 |
| जिसमें से : पूंजीगत लिखत | of which: Capital instruments | 124117.00 | 0 |
| iv अन्य देयताएं एवं प्रावधान | iv Other liabilities & provisions | 274215.45 | 0 |
| कुल | Total | 7192205.13 | 0 |
| बी आस्तियां | B Assets | | |
| i भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष | i Cash and balances with Reserve Bank of India | 239151.35 | 0 |
| बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | Balance with banks and money at call and short notice | 1301998.65 | 0 |
| ii निवेश : | ii Investments: | 1407164.33 | 0 |
| जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां | of which: Government securities | 1212691.51 | 0 |
| जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | of which: Other approved securities | 24754.98 | 0 |



(राशि मिलियन ₹ में) (Amt ₹ in Million)

| विवरण | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र |
|--|---|--|---|
| | | Balance sheet as in financial statements | Balance sheet under regulatory scope of consolidation |
| | | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| जिसमें से: शेयर | of which: Shares | 23574.59 | 0 |
| जिसमें से: डिबेंचर एवं बांड | of which: Debentures & Bonds | 42893.55 | 0 |
| जिसमें से: अनुषंगिया/ संयुक्त उद्यम/ सहायक इकाइयां | of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates | 0.00 | 0 |
| जिसमें से: अन्य (वाणिज्यिक पेपर्स, म्युचुअल फंड इत्यादि) | of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.) | 103249.70 | 0 |
| iii ऋण एवं अग्रिम | iii Loans and advances | 3922622.97 | 0.00 |
| जिसमें से : बैंक को ऋण एवं अग्रिम | of which: Loans and advances to bank | | 0 |
| जिसमें से : ग्राहक को ऋण एवं अग्रिम | of which: Loans and advances to customer | | 0 |
| iv अचल आस्तियां | iv Fixed assets | 59296.75 | 0.00 |
| v अन्य आस्तियां | v Other assets | 261971.09 | 0 |
| जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां | of which: Goodwill and intangible assets | 0.00 | 0 |
| जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियां | of which: Deferred tax assets | 0.00 | 0 |
| vi समेकन संबंधी साख | vi Goodwill on consolidation | 0.00 | 0 |
| vii लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष | vii Debit balance in Profit & Loss account | 0.00 | 0 |
| कुल आस्तियां | Total Assets | 7192205.13 | 0 |

चरण / Step: 2

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| विवरण | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र | संदर्भ सं. Ref. No. |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Balance sheet as in financial statements | Balance sheet under regulatory scope of consolidation | |
| | | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| ए पूंजी एवं देयताएं | A Capital & Liabilities | | | |
| i प्रदत्त पूंजी | i Paid-up Capital | 4620.93 | 0 | |
| जिसमें से: सीईटी1 के लिए पात्र राशि | of which: Amount eligible for CET1 | 4620.93 | 0 | A |
| जिसमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि | of which: Amount eligible for AT1 | 0.00 | 0 | |



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| | विवरण | | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref. No. |
|---------|--|----------|---|--|--|---------------------|
| | | | | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| ii | आरक्षित एवं अधिशेष | ii | Reserves & Surplus | 426054.79 | 0 | |
| अनुसूची | सांविधिक आरक्षित निधि | Schedule | STATUTORY RESERVE | 96362.70 | 0 | B |
| 2 | पूंजी आरक्षित निधि | 2 | CAPITAL RESERVE | 50253.63 | 0 | C |
| | शेयर प्रीमियम | | SHARE PREMIUM | 107862.09 | 0 | D |
| | सामान्य आरक्षित निधि | | General Reserve | 0.00 | 0 | |
| | आई.टी अधिनियम 1961 की धारा 36(i)(viii)(ए) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | | Special Reserves u/s 36(i)(viii) (a) of I.T.Act, 1961 | 0.00 | 0 | |
| | आई.टी अधिनियम की धारा 36 (I) (VIII) के अंतर्गत विशेष आरक्षित | | Special Reserve u/s 36(I)(VIII) of I.T. act | 47873.05 | 0 | E |
| | राजस्व तथा अन्य आरक्षित | | Revenue & other reserve | 97575.79 | 0 | F |
| | निवेश आरक्षित खाता | | Investment reserve account | 1304.63 | | G |
| | विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षित निधि | | Foreign Currency Translation Reserve | 17342.97 | 0 | H |
| | अनाबंटित लाभ | | Unallocated Profit | 7479.93 | 0 | I |
| | अल्प शेयर | | Minority Share | 2325.28 | | J |
| | कुल पूंजी | | Total Capital | 430675.73 | 0 | |
| ii | जमाराशियां | ii | Deposits | 6172568.66 | 0 | |
| अनुसूची | बैंक से मांग जमा | Schedule | Demand Deposit from Bank | 21548.61 | 0 | |
| 3 | अन्य से मांग जमा | 3 | Demand Deposit from Others | 415806.94 | 0 | |
| | बचत बैंक जमा | | SAVINGS BANK DEPOSITS | 1543271.11 | 0 | |
| | बैंकों से मीयादी जमा | | Term Deposit from banks | 670352.27 | 0 | |
| | अन्य से मीयादी जमा | | Term Deposit from Others | 3521589.74 | 0 | |
| | भारत में स्थित शाखाओं से जमा | | Deposit from branches in India | 4467071.78 | | |
| | भारत से बाहर स्थित शाखाओं से जमा | | Deposit from branches outside India | 1705496.88 | | |
| iii | उधार | iii | Borrowings | 312420.02 | 0 | |
| अनुसूची | भा.रि.बैं (भा.रि.बैं. अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत) | Schedule | RBI (u/s 19 of RBI Act) | 0.00 | 0 | |

(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| | विवरण | | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref. No. |
|---------|---|----------|---|---|---|------------------------|
| | | | | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| 4 | बैंकों से | 4 | From banks | 4249.15 | 0 | |
| | अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां | | Other institutions and agencies | 22225.12 | 0 | |
| | नवोन्मेषी नियत ऋण लिखत (आईपीडीआई) | | Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | 49117.00 | 0 | U |
| | बांडों के रूप में जारी संक्रमित ऋण पूंजी लिखत | | Hybrid debt capital instrument issued as bonds | 33100.00 | | V |
| | गौण बांड | | Subordinated Bonds | 41900.00 | 0 | T |
| | भारत के बाहर उधार | | Borrowings outside India | 161828.74 | 0 | |
| iv | अन्य देयताएं एवं प्रावधान | iv | Other liabilities & provisions | 274215.45 | 0 | |
| अनुसूची | जिसमें से: देय बिल | Schedule | of which : Bills Payable | 22004.64 | 0 | |
| 5 | जिसमें से: इंटर ऑफिस समायोजन (निवल) | 5 | of Which : Inter Office Adjustment (Net) | 12582.25 | 0 | |
| | जिसमें से : आस्थगित कर देयता | | of Which : Deferred tax liability | 43.08 | | |
| | जिसमें से: उपचित ब्याज | | of Which : Interest Accrued | 34365.40 | 0 | |
| | जिसमें से: मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान | | of Which : Contingent Provision against Standard Advances | 35422.70 | 0 | X |
| | जिसमें से: अन्य (प्रावधानों सहित) | | of Which : Other (including provision) | 169797.38 | 0 | W |
| | कुल | | Total | 7192205.13 | 0.00 | |
| ख | आस्तियां | B | Assets | 1541150.00 | | |
| i | भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष | i | Cash and balances with Reserve Bank of India | 239151.35 | 0 | |
| | बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि | | Balance with banks and money at call and short notice | 1301998.65 | 0 | |
| ii | निवेश | ii | Investments | 1407164.33 | 0 | |
| अनुसूची | सरकारी प्रतिभूतियां | Schedule | Govt. Securities | 1212691.51 | 0 | N |
| 8 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | 8 | Other approved securities | 24754.98 | 0 | O |
| | शेयर | | Shares | 23574.59 | 0 | P |
| | डिबेंचर एवं बांड | | Debentures & Bonds | 42893.55 | 0 | Q |
| | अनुषंगिया और/ अथवा संयुक्त उद्यम भारत एवं विदेश में | | Subsidiaries and/or JVs India & ABROAD | 11708.10 | 0 | R |
| | अन्य निवेश | | Other investyments | 91541.60 | 0 | S |



(राशि ₹ मिलियन में) (Amt ₹ in Million)

| | विवरण | | Particulars | वित्तीय विवरणियों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements | समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation | संदर्भ सं. Ref. No. |
|---------|--|----------|--|--|--|---------------------|
| | | | | 31.03.2017 | 31.03.2017 | |
| iii | ऋण एवं अग्रिम | iii | Loans and advances | 3922622.97 | 0 | |
| | बट्टाकृत एवं खरीदे गये बिल | | BILLS PURCHASED & DISCOUNTED | 469933.08 | 0 | |
| | नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण | | CASH CREDITS, OVERDRAFTS & LOANS REPAYABLE ON DEMAND | 1632470.94 | 0 | |
| | मीयादी ऋण | | TERM LOANS | 1820218.94 | 0 | |
| iv | अचल आस्तियां | iv | Fixed assets | 59296.75 | 0 | |
| v | अन्य आस्तियां | v | Other assets | 261971.09 | 0 | |
| अनुसूची | जिसमें से: साख एवं अमूर्त आस्तियां | Schedule | of which: Goodwill and intangible assets | 0.00 | 0 | L |
| 11 | जिनमें से : साख | 11 | Out of which: Goodwill | 0.00 | 0 | |
| | अन्य अमूर्त (एमएसआर को छोड़कर) | | Other intangibles (excluding MSRs) | 218614.07 | 0 | |
| | आस्थगित कर आस्तियां | | Deferred tax assets | 43357.02 | 0 | M |
| vi | समेकन संबंधी साख | vi | Goodwill on consolidation | 0.00 | 0 | |
| vii | लाभ हानि खाते में नामे शेष | vii | Debit balance in Profit & Loss account | 0.00 | 0 | |
| | कुल आस्तियां | | Total Assets | 7192205.13 | 0.00 | |

सारणी डीएफ - 13 : विनियामक पूंजीगत लिखतों के मुख्य विशेषताएं:

ऋण पूंजी लिखतों संबंधी प्रकटीकरण तथा ऋण पूंजी लिखतों की नियम एवं शर्तों को अलग से प्रकट किया गया है. प्रकटीकरण में जाने के लिए यहां क्लिक करें.

सारणी डीएफ - 14 : विनियामक पूंजीगत लिखतों के सभी नियम एवं शर्तें:

पूंजीगत लिखतों का विवरण अलग से दर्शाया गया है. पूंजीगत लिखतों की नियम एवं शर्तों को देखने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

Table DF -13 Main Features of Regulatory Capital Instruments:

Disclosures pertaining to debt capital instruments and the terms and conditions of debt capital instruments have been disclosed separately. Click here to access the disclosures.

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

The details of Capital instruments are separately disclosed. Click the related links to view the terms and conditions of the capital instruments.

| क्र.सं. Sr. No | लिखत | Instruments |
|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | टियर I आईपीडीआई एसआर - I | TIER I IPDI SR – I |
| 2 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - II | TIER I (IPDI) SR –II |
| 3 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - III | TIER I (IPDI) SR –III |

| | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|
| 4 | टियर I (आईपीडीआई) एसआर - IV | TIER I (IPDI) SR –IV |
| 5 | टियर I (पीडीआई) एसआर - V | TIER I (PDI) SR – V |
| 6 | टियर I (पीडीआई) एसआर - VI | TIER I (PDI) SR – VI |
| 7 | टियर I (पीडीआई) एसआर - VII | TIER I (PDI) SR – VII |
| 8 | बांड सीरीज -VII | BOND SERIES – VII |
| 9 | बांड सीरीज - VIII | BOND SERIES – VIII |
| 10 | बांड सीरीज - IX | BOND SERIES –IX |
| 11 | बांड सीरीज - X | BOND SERIES –X |
| 12 | बांड सीरीज -XI | BOND SERIES –XI |
| 13 | बांड सीरीज -XII | BOND SERIES –XII |
| 14 | बांड सीरीज -XIII | BOND SERIES –XIII |
| 15 | बांड सीरीज -XIV | BOND SERIES –XIV |
| 16 | बांड सीरीज -XV | BOND SERIES –XV |
| 17 | बांड सीरीज -XVI | BOND SERIES –XVI |
| 18 | बांड सीरीज -XVII | BOND SERIES –XVII |
| 19 | एमटीएन बांड - | MTN Bonds |

सारणी डीएफ - 15 : पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

चूंकि बैंक ऑफ़ बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.एनओ.बीसी.72 / 29.67.001/2001-12 दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अनुसार तालिका डीएफ - 15 हमारे ऊपर लागू नहीं है।

सारणी डीएफ - 16 इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1) जिसमें शामिल हैं:

विदेशी एवं भारतीय अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी इक्विटी एचटीएम निवेश ये नीतिपरक प्रकृति के हैं।

एचटीएम मूल्यांकन पद्धति

परिपक्वता पर धारित श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार के लिए चिन्हित करना आवश्यक नहीं है और उसे अधिग्रहण की लागत पर माना जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। इस मामले में प्रीमियम परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित होनी चाहिए। चूंकि बैंक लगातार भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसी) की लेखांकन पद्धति को अपना रहा है अतः शिफ्टिंग और प्रीमियम परिशोधन की गणना के उद्देश्य से भारित औसत लागत (डब्ल्यूएसी) अधिग्रहण की लागत होगी।

बैंक अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम में किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा किसी भी ह्रास को मानता है, जो परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत शामिल हों और उनका प्रावधान किया गया हो। ऐसे ह्रास को एकल रूप में निर्धारित किया जाय और उसके लिए प्रावधान किया जाए।

Table DF-15: Disclosure Requirements for Remuneration

As Bank of Baroda is a Public Sector bank Table DF-15 is not applicable to us as per Circular No DBOD.NO.BC.72/29.67.001/2001-12 dated January 13, 2012 of the Reserve Bank of India.

Table DF-16: Equities- Disclosure for Banking Book Positions

The general qualitative disclosure (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:

All equity HTM investments are in Foreign and Indian Subsidiaries, JVs and RRBs. These are of Strategic in nature.

Valuation methodology of HTM

Investments classified under Held to Maturity category need not be marked to market and will be carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium should be amortized over the period remaining to maturity. Since the Bank has consistently been following the Weighted Average Cost (WAC) method of accounting, the WAC will be the acquisition cost for the purpose of shifting and also for the calculation of premium for amortization.

Bank is recognizing any diminution, other than temporary, in the value of their investments in subsidiaries/ joint ventures, which are included under Held to Maturity category and provide there for. Such diminution is determined and provided for each investment individually.



| क्रम सं. Sr. No. | मद | Item | राशि (₹ लाखों में) Amount (in ₹ Lakhs) |
|---------------------|---|--|---|
| 1 | निवेश | Investments | 174214.71 |
| 1.1 | तुलन-पत्र के अनुसार | As per Balance Sheet | 172267.18 |
| 1.2 | उचित मूल्य | Fair Value | 172267.18 |
| | उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से उद्धृत शेयर मूल्यों की तुलना जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में भिन्न है. | For quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value. | - |
| 2 | निवेश का प्रकार | Type of investment | |
| 2.1 | एचटीएम | HTM | |
| 2.1.1 | सार्वजनिक रूप से ट्रेड की गई | Publicly traded | - |
| 2.1.2 | निजी रूप से धारित | Privately held | 174214.71 |
| 3 | रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री तथा समापनों से उत्पन्न संचयी वसूली प्राप्तियां (हानियां) | Cumulative realised gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period. | - |
| 4 | कुल अवसूलीकृत प्राप्तियां (हानियां)* | Total unrealised gains (losses)* | - |
| 5 | कुल अंतर्निहित पुनर्मूल्यांकन प्राप्तियां (हानियां)** | Total latent revaluation gains (losses)** | - |
| 6 | उपरोक्त में से कोई भी राशि जो टियर 1 और/ या टियर 2 पूंजी में शामिल है. | Any amounts of the above included in Tier 1 and/ or Tier 2 capital. | |
| 7 | विनियामक पूंजी आवश्यकताओं के संबंध में पर्यवेक्षी परिवर्तन अथवा पुराने प्रावधानों के अधीन बैंक की कार्य पद्धति, कुल राशि तथा इक्विटी निवेश के प्रकार के अनुसार उचित इक्विटी समूहीकरण द्वारा अलग-अलग की गई पूंजी आवश्यकताएं. | Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements | |

डीएफ-17- लेखांकन आस्तियों व लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

DF-17- Summary Comparison of accounting assets vs Leverage Ratio exposure measure

| क्रम सं. Sr. No. | मद | Item | राशि (₹ मिलियन में) Amount (in ₹ Million) |
|---------------------|---|---|--|
| 1 | प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां | Total Consolidated Assets as per published financial statements. | 7,192,205.19 |
| 2 | बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक इकाइयों में निवेश के लिए समायोजन, जो लेखांकन के उद्देश्य से समेकित किए गए हैं परंतु विनियामक समेकन से बाहर हैं | Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation. | 7,229.33 |
| 3 | परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलन-पत्र में शामिल की गई वैश्वासिक आस्तियों के लिए समायोजन, परंतु जो लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं है. | Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure. | |
| 4 | डेरिवेटिव वित्तीय लिखत समायोजन के लिए | Adjustments for derivative financial instruments | 64,431.86 |
| 5 | प्रतिभूती वित्तपोषण संव्यवहारों के लिए समायोजन (अर्थात् रिपोज एवं उसके समान सुरक्षित ऋण) | Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending) | |
| 6 | तुलन-पत्र बाह्य मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर की क्रेडिट समकक्ष राशियों में रूपांतरण) | Adjustment for off balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposure) | 508,216.06 |
| 7 | अन्य समायोजन | Other adjustments | |
| 8 | लीवरेज अनुपात एक्सपोजर | Leverage ratio exposure | 7,757,623.78 |

डीएफ -18 - लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना
DF-18 - Leverage Ratio Common disclosure template

| | | राशि (₹ मिलियन में) Amount (in ₹ Million) | |
|---------------------|--|--|---|
| क्रम सं. Sr. No. | लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना मद | Leverage Ratio Common Disclosure Template Item | लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क Leverage Ratio Framework Mar-17 |
| | तुलन-पत्र का एक्सपोजर | On-Balance sheet Exposures | |
| 1 | तुलन-पत्र की मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु सम्पार्थिक को मिलाकर) | On-Balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral) | 7,192,205.19 |
| 2 | (परिचालित बासेल III टियर 1 पूंजी में घटायी गई आस्ति राशियां) | (Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital) | -7,229.33 |
| 3 | तुलन-पत्र का कुल एक्सपोजर | Total On-balance sheet exposures | 7,184,975.86 |
| | डेरिवेटिव एक्सपोजर | Derivative Exposures | |
| 4 | सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात् पात्र नकदी अंतर मार्जिन का निवल) | Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin) | 27,833.17 |
| 5 | सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों में सम्मिलित पीएफई के लिए वर्धित राशियां | Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions | 36,598.70 |
| 6 | डेरिवेटिव संपार्थिक के लिए ग्राँस-अप बशर्ते कि जहां परिचालित लेखांकन फ्रेमवर्क के अनुसार तुलनपत्र आस्तियों से घटायी गई हों | Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework | - |
| 7 | (डेरिवेटिव लेनदेनों में नकदी अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती) | (Deductions of receivables assets for cash variation margin in derivatives transactions) | - |
| 8 | (क्लाइंट-क्लीयर्ड ट्रेड एक्सपोजर की छूट प्राप्त सीसीपी लेग) | (Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures) | - |
| 9 | लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि | Adjusted effective notional amount of written credit derivatives | - |
| 10 | (लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफसेट एवं एड-ऑन कटौती) | (Adjusted effective notional offsets and add-on deduction for written credit derivatives) | - |
| 11 | कुल डेरिवेटिव्स एक्सपोजर | Total derivative exposures | 64,431.86 |
| | प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर | Securities Financing Transaction Exposures | |
| 12 | सकल एसएफटी आस्तियां (शुद्ध करने की एमओ स्वीकृति सहित), बिक्री लेखांकन संव्यवहारों के लिए समायोजन करने के बाद | Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions | - |
| 13 | (सकल एसएफटी आस्तियों की नकदी देय तथा नकदी प्राप्य की शुद्ध की गई राशि) | (Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets) | - |
| 14 | एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर | CCR exposure for SFT assets | - |
| 15 | एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर | Agent transaction exposures | - |
| 16 | कुल प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार एक्सपोजर | Total securities financing transaction exposure | - |
| | अन्य तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर | Other off-balance sheet exposures | |
| 17 | सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर | Off-balance sheet exposure at gross notional amount | 1,359,732.23 |
| 18 | (ऋण समकक्ष राशियों के रूपांतरण के लिए समायोजन) | (Adjustments for conversion to credit equivalent amounts) | -851,516.17 |
| 19 | तुलनपत्र बाह्य मदें | Off-Balance sheet items | 508,216.06 |
| | पूँजीगत एवं कुल एक्सपोजर | Capital and total exposures | |
| 20 | टियर 1 पूंजी | Tier 1 capital | 438,424.33 |
| 21 | कुल एक्सपोजर | Total Exposures | 7,757,623.78 |
| | लीवरेज अनुपात | Leverage ratio | |
| 22 | बासेल III लीवरेज अनुपात | Basel III leverage ratio | 5.65% |